पत्रांक–जी/निजी सुरक्षा–11/2012............................./

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

16
आई0पी0ब्रांच

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव–सह–नियंत्री प्राधिकारी

सेवा में,

स्पीड पोस्ट

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह,
पिता–श्री केदार नाथ सिंह,
फ्लैट नं0–16/17, संत जॉन अपार्टमेन्ट,
माशेल चर्च रोड, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई–400059

पटना, दिनांक–............अक्टूबर, 2016

विषयः– **बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के तहत राज्य में Singh Intelligence Security Pvt. Ltd. निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु समर्पित आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिनांक–11.01.2012 समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 में निहित प्रावधान के अनुसार पुलिस अधीक्षक, भोजपुर (आरा) से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी।

उक्त संदर्भ में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा प्रपत्र–V में अंकित पते पर अमरावती ट्रैक्टर, मैक्सी फॉरच्यून की एजेंसी है। जाँच के क्रम में वहाँ कोई ट्रेनर नहीं पाया गया। अतएव, उनके द्वारा बिहार राज्य में एजेंसी चलाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया।

तद्नुसार विभागीय पत्रांक–11651 दिनांक–17.10.2015 के माध्यम से आपसे कारण पृच्छा की गयी कि निजी सुरक्षा चलाने हेतु ऑफिस एवं संसाधन उपलब्ध नहीं होने तथा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र न मिलने के कारण से आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाए।

तदुपरान्त आपके स्थानीय प्रतिनिधि के अभ्यावेदन दिनांक–16.12.2015 द्वारा सूचित किया गया कि प्रपत्र–V में अंकित कार्यालय के पते पर स्थित मकान में कुल 05 कमरे हैं, जिनमे से 02 कमरे अमरावती ट्रैक्टर को भाड़े पर दिये गये हैं। बाकि सभी का उपयोग सिक्यूरिटी एजेंसी के कार्यालय के लिए किया जाता है।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–763 दिनांक–28.01.2016 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, भोजपुर को आपसे प्राप्त अभ्यावेदन, जमीन के कागजात, फोटोग्राफ एवं बिजली बिल की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए आपके कार्यालय–सह–प्रशिक्षण स्थल का सत्यापन पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी से कराकर प्रतिवेदन माँगा गया।

पुलिस अधीक्षक, भोजपुर द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, आरा के प्रतिवेदन के आधार पर पत्रांक–5786/गो0 दिनांक–10.09.2016 के माध्यम से सूचित किया गया कि आपके कार्यालय–सह–प्रशिक्षण स्थल के सत्यापन के क्रम में 01 वर्ग कक्ष, 01 अलमीरा, 04 चौकी, 08 कुर्सियाँ तथा 01 टेबल उपलब्ध पाया गया। अन्य कोई भी प्रशिक्षण हेतु सामान उपलब्ध नहीं पाया गया। उक्त कैम्पस को भी प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है। अतएव उनके द्वारा आपको बिहार राज्य में एजेंसी चलाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

अतः अधिनियम की धारा–7(4) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण एवं कार्यालय की सुविधा एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन दिनांक–11.01.2012 **अस्वीकृत** किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

P.T.O.

D/Y/Security Agency/Draft

ज्ञापांकः–..............................   पटना, दिनांक–............अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांकः–9940   पटना, दिनांक–20 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 20.10.16

सरकार के विशेष सचिव

–सह–नियंत्री प्राधिकारी

D/Y/Security Agency/Draft